तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज किशनाराम बनाम ओमप्रकाश आदि मुकदमा नंबर 16/2023 अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 निर्णय दिनांकः 15.05.2026	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
15.05.2026	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 04 सीपीसी पर उभयपक्षकारान सुनी गई। प्रार्थी/ वादी अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि प्रतिवादी संख्या 16 की मृत्यु दिनांक 28.02.2023 को हो चुकी है, जिनके जायज वारिसान कायम मुकाम 16/1 शंकरलाल 16/2 धर्माराम 16/3 मोहनलाल 16/4 प्रदीप 16/5 लक्ष्मी 16/6 परमेश्वरी 16/7 मीरा पुत्र/पुत्रीया तोलाराम जातियान ब्राहम्ण निवासी कपुरीसर तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर है एवं प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 16 के जायज वारिसानो को कायममुकाम में पक्षकार संयोजित किये जाने का आदेश दिया जाकर संशोधित वाद शीर्षक प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया एवं अपनी बहस के समर्थन में माननीय न्यायालय बोर्ड ऑफ रेवन्यू के न्यायिक दृष्टान्त आएलडब्ल्यू 2014(1)आरजे 72 रामजीराम बनाम चतुराराम आदि पेश की गई। अप्रार्थी/ प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि प्रतिवादी संख्या 16 की मृत्यु वादी के कथना अनुसार 28.02.2023 को हो गई। मृतक के वारिसानों को रिकार्ड में लाने की अवधि 90 दिन की है अधिकतम 150 दिन की अवधि विशेष परिस्थिति में है। प्रतिवादी की मृत्यु हुए 17 माह से अधिक का समय हो चुका है। वाददी का उक्त दावा में घोषणात्क अनुतोष चाह रखा है। वादी का दावा सम्पूर्ण अबेट हो चुका है। वादी ने अबेटमेन्ट निरस्ती बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है ना ही मियाद अधिनियम की दफा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है एवं का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध न्यायिक दृष्टान्तो का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा अन्तर्गत धारा 53,88,188 आरटीए के तहत पेश किया गया है। चूंकि वाद में घोषणात्मक अनुतोष चाहा गया। ऐसी स्थिति में सभी पक्षकारों का हित प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है और ऐसी स्थिति में दावा किसी एक पक्षकार की हद तक अबेट नहीं हो सकता । आदेश 22 नियम 4 के प्रावधानों के अनुसार वाद स्वतः अबेट हो चुका है क्यों कि प्रतिवादी संख्या 16 राधा की मृत्यु करीब 17 माह पूर्व हो चुकी है,। पक्षकार की मृत्यु होने पर कायम मुकाम बनाने हेतु निर्धारित अवधि 90 दिवस के अन्दर कायम मुकाम बनाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। 90 दिवस के बाद दावा स्वतः ही अबेट हो जाता है, 90 दिवस के पश्चात अबेटमेन्ट को निरस्त करवानें हेतु प्रार्थना पत्र 60 दिनो के अन्दर मियांद अधिनियम के तहत प्रस्तुत करना आवश्यक है। वादी/ प्रार्थी ने आदेश 22 नियम 9 एवं मियाद अधिनियम धारा 5 के तहत छूट प्राप्त करने हेतु भी किसी प्रकार का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है।	

उपखण्ड अधिकारी

कानूनी रूप से वादी का दावा पूर्णतया अबेट हो चुका है। लिहाजा प्रार्थी/ वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी इसी स्तर पर खारिज किया जाकर वादी का वाद अबेटमेन्ट में खारिज किया जाता है। वादी नया वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगारगढ